



उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र संख्या: सी- 96 /बीमा सेल/2018-19,

दिनांक: 12-2-2019

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबंधक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।


विषय: आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 प्रतिनिधियों के दूरभाष नम्बर विषयक।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी-47/सामान्य बीमा/तक0प्रको0/18-19, दि0 06.09.18 एवं परिपत्र संख्या सी-87/बीमा सेल/18-19, दि0 22.01.19 द्वारा आपको बीमा का कार्य करने से संबंधित रॉयल सुन्दरम जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 एवं इफूको टोकियो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 के प्रतिनिधियों के दूरभाष नम्बरों की सूची उपलब्ध करा दी गयी थी। आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 के उनसे संबंधित मण्डलों में कार्यरत प्रतिनिधियों की सूचना निम्नवत् है:-

1. आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची-

मण्डलों का विवरण	नाम एवं मोबाइल नम्बर	
वाराणसी	सुभाष चंद्र कुशवाहा	7275710203
गोरखपुर	सुभाष चंद्र कुशवाहा	7275710203
बस्ती	देव वृत्त त्रिपाठी	7905858072
आजमगढ़	सौरभ यादव	9838476402
झोंसी	सुभाष चंद्र कुशवाहा	7275710203
चित्रकूट	देव वृत्त त्रिपाठी	7905858072

बैंक के पूर्व प्रेषित परिपत्र संख्या सी-54/बीमा सेल/18-19, दि0 05.10.18 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किए गए थे कि केवल रॉयल सुन्दरम जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 द्वारा ही पशु बीमा का कार्य शासकीय योजनाओं हेतु निर्धारित दरों पर करने तथा बैंक के ऋणी सदस्यों हेतु दुर्घटना संबंधी बीमा आच्छादन (1.00 लाख के बीमे पर रू0 149.00 का प्रीमियम) का प्रस्ताव दिया गया था। अतः उक्त बीमा उन्ही से कराया जाए इस संबंध में शाखाओं में विद्यमान कतिपय भ्रान्तियों के क्रम में समस्त शाखाओं/मण्डलों को यह पुनः निर्देशित किया जाता है कि संबंधित बीमा कराने हेतु केवल रॉयल सुन्दरम जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 से ही संपर्क करें।


(के0पी0सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित मण्डलीय पर्यवेक्षक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र का अनुपालन अपने मण्डल की समस्त शाखाओं को कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबंधक(कम्प्यूटर), प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई-मेल द्वारा समस्त जनपदीय शाखाओं को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध निदेशक